

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 26 मार्च, 2019

विषय :- हरदोई में बिलग्राम-उन्नाव मार्ग एस०एच०-38 के किमी० 01 से 02 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम चांदपुर बाहर परगना व तहसील बिलग्राम के गाटा सं०-229 व 230 पर एच०पी०सी०एल० द्वारा स्थापित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.08471 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 46⁴ के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/08/2018/एफसी/322 दिनांक 02.08.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-659/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्श/23174/2016 दिनांक 26.09.2018, पत्र सं०-803/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्श/23174/2016 दिनांक 12.10.2018 एवं पत्र सं०-1495/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्श/23174/2016 दिनांक 25.01.2019 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं/अभिलेख संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-214(1)/14-2-2019-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(डा० दीपक कोहली)
उप सचिव।